भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 622

16 सितंबर, 2020 को उत्तर के लिए

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में खनन गतिविधियां

622. श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोरः
श्री नारणभाई काछड़ियाः
श्रीमती गीताबेन वी॰ राठवाः
श्री जॉन बर्लाः
श्री परबतभाई सवाभाई पटेलः
श्री प्रदीप कुमार सिंहः
श्री शान्तनु ठाकुरः

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में खनन गतिविधियों की अनुमति दे रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त क्षेत्रों में खनन गतिविधियों के लिए कोई सख्त नियम बनाए है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) : खनिज रियायत अनुदान सहित खनन विनियमन, खान और खनिज (विकास और विनियमन) (एमएमडीआर) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों द्वारा प्रशासित किया जाता है। एमएमडीआर अधिनियम, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में खनन गतिविधियों को अनुमति देता है। तथापि, खनिज रियायतों का अनुदान, भारत के संविधान के पांचवी एवं छठ्ठी अनुसूची के साथ पठित अनुच्छेद 244 में निहित प्रावधानों एवं उन क्षेत्रों में लागू विधानों द्वारा निदेशित होता है।

(ख) : जी नहीं। सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में खनन गतिविधियों के लिए एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के अंतर्गत कोई पृथक नियम नहीं बनाया है। तथापि, खनन करने के लिए ऐसे क्षेत्रों हेतु लागू कानून का भी अनुपालन किया जाना है।

(ग) : उत्तर के मद (क) में ब्यौरा दिया गया है।

(घ) : उपर्युक्त (क) और (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

*****